समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in

मो0–8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2019 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 11.03.2019 को खरीफ विपणन मौसम 2018–19 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मण्डलों द्वारा की गयी धान अधिप्राप्ति एवं उनको किये गये भुगतान से संबंधित समीक्षा, CMR प्राप्ति एवं CMR के राशि भुगतान, पैक्स/व्यापार मण्डलों से मिल टैगिंग, पैक्सों/व्यापार मण्डलों के भौतिक सत्यापन, राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन, कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृति एवं किसानों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा की गयी।

1. <u>किसानों से किये गये धान अधिप्राप्ति एवं उनको किये गये भुगतान से संबंधित समीक्षा :–</u> खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक कुल 1636 किसानों से 15263.202 एम0टी0 धान की खरीदारी की गयी है, जिसका कुल मूल्य 26.71 करोड़ के विरूद्ध 20.87 करोड़ की राशि का भुगतान PFMS द्वारा सीधे किसान के खाते में हस्तानांतरण कर दिया गया है एवं शेष बकाया भुगतान राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों के भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/विभागीय पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर/सभी चयनित पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक, व्यापार मण्डल/सभी शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जिला बक्सर)।)।**
2. <u>CMR प्राप्ति एवं CMR के राशि भुगतान संबंधी समीक्षा :–</u> इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर ने प्रतिवेदित किया कि प्रतिवेदित तिथि तक अधिप्राप्ति किये गये कुल धान 15263.202 एमटी0 के समतुल्य CMR 10226.34 एमटी0 के विरूद्ध 2943.00 एमटी0 CMR की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम, बक्सर को की जा चुकी है। आपूर्ति किये गये 109 लॉट CMR के विरूद्ध 38 लॉट CMR की राशि 387.11 लाख रू0 का भुगतान हो चुका है। समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा CMR की आपूर्ति में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को प्राप्त CMR के भुगतान में तेजी लाने का निदेश भी दिया गया **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**
3. <u>CMR संग्रहण केन्द्र की जॉच से संबंधित समीक्षा :–</u> अधोहस्ताक्षरी द्वारा धान अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर से CMR संग्रहण केन्द्र की जॉच के संबंध में पृच्छा की गयी। इस संबंध में धान अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर द्वारा बतया गया कि पूर्व में ही भारतीय खाद्य निगम, बक्सर की टीम के साथ CMR संग्रहण केन्द्र की जॉच किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ही भारतीय खाद्य निगम, बक्सर के पदाधिकारियों के साथ CMR संग्रहण केन्द्र का भौतिक सत्यापन किया जाना है। अधोस्ताक्षरी ने CMR संग्रहण केन्द्र के गोदामों का सयुंक्त जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**

4. <u>राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा</u> :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 34 राइस मिलों के द्वारा ऑनलाईन निबंधन कराया गया है, जिसकी सूची जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को प्रेषित कर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी 34 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन आदेश निर्गत हो गया है। कुल 32 मिलों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें 29 मिल पात्र एवं 3 अपात्र है। सभी पात्र मिलों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को संबद्धन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। **(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।**
5. <u>कैश केडिट लिमिट से संबंधित समीक्षा</u> :– समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया कि चयनित 84 पैक्सों एवं 5 व्यापार मण्डलों एवं संबद्ध किये गये पैक्सों सहित को कुल 37.70 करोड़ रू0 की कैश–केडिट लिमिट, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा द्वारा स्वीकृत है। उक्त के विरूद्ध प्रतिवेदित तिथि तक 26.71 करोड़ की रू0 के धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु किसी भी परिस्थिति में राशि की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए **(अनुपालन :–जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा)।**
6. <u>किसानों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा</u> :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक 3943 किसानों का ऑनलाईन निबंधन हुआ है, जिसमें से 3685 किसान ही अधिप्राप्ति के पात्र है। इस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निबंधन कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उसमें तेजी लाने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक (सहकारिता विभाग) को दिया गया **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/ सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर/सभी कार्यपालक सहायक, सहकारिता विभाग, जिला बक्सर)।**
7. <u>गन्नी बैग्स से संबंधित समीक्षा</u> :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से गन्नी बैग्स की उपलब्धता के संबंध में पृच्छा की गयी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पर्याप्त मात्रा में गन्नी बैग्स उपलब्ध तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर के अधियाचना के आलोक में गन्नी बैग्स उपलब्ध करा दिया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को पर्याप्त मात्रा में गन्नी बैग्स उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया **अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**
8. <u>पैक्स/व्यापार मण्डलों के भौतिक सत्यापन से संबंधित समीक्षा</u> :– बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी संबंधित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी क्षेत्र में निरंतर कार्यशील पैक्स गोदाम में रखे धान का सत्यापन कार्य करते है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अधिप्राप्ति किये गये धान का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत खरहना पैक्स द्वारा किये गये किसानों से धान अधिप्राप्ति की जॉच कराने का निदेश अंचलाधिकारी, राजपुर को दिया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को अचंलाधिकारी, राजपुर को किसानों की सूची उपलब्ध कराकर अंचलाधिकारी, राजपुर से जॉच कराना सुनिश्चित करेंगे **(अनुपालन :– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/सभी अंचलाधिकारी, जिला बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/सभी प्रखण्ड**

सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर/सभी चयनित पैक्स/व्यापार मण्डल अध्यक्ष एवं प्रबंधक, जिला बक्सर)।

9. **पैक्सों/व्यापार मण्डलों से राइस मिलों के संबद्धता से संबंधित समीक्षा :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा कुछ पैक्स अध्यक्षों द्वारा संबद्ध मिल में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय प्रावधानों के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर से पृच्छा की गयी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा स्पष्ट किया गया कि विभागीय विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा नजदीकी राइस मिलों से संबद्ध करने का निदेश दिया गया है। पैक्सों द्वारा विभिन्न कारणों से संबद्ध राइस मिल से एकरारनामा नहीं करते हुए दुसरे राइस मिलों से संबद्ध करने का आवेदन समर्पित किया गया है, जिसे जिला सहकारिता कार्यालय, बक्सर के पत्रांक 196 दिनांक 09.03.2019 द्वारा जिला टास्क फोर्स की बैठक में विचाराधीन प्रेषित किया गया है। एक कार्यशील पैक्स सोवा को पूर्व में राइस मिल से संबद्ध नहीं किया गया था। टास्क फोर्स द्वारा समीक्षोपरान्त कार्यरत पैक्सों को पूर्व से संबद्ध राइस मिल के स्थान पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त पत्र के आलोक में निम्नरूपेण राइस मिलों से संबद्ध किया गया :–

क्र0	सम्बद्ध मिल का नाम एवं पता	पैक्स/व्यापार मण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	अभियुक्ति
1	प्रकाश राईस मिल, अतरवलिया, राजपुर	कैथहर कला पैक्स	राजपुर	
2	दुर्गा मिनी राइस मिल, औधोगिक क्षेत्र, बक्सर	खरहना पैक्स	राजपुर	
3	कुसुम राइस मिल, प्रा0लि0 तियरा राजपुर	तियरा पैक्स	राजपुर	
4	श्री साई राइस मिल, राजपुर	सिकठी पैक्स	राजपुर	
5	अम्बे मार्डन मिनी राइस मिल, इटाढ़ी	चिलहर पैक्स	इटाढ़ी	
6	मातेश्वरी राइस मिल, औधोगिक क्षेत्र, बक्सर	उनवॉस पैक्स	राजपुर	
7	अरविन्द मिनी राइस मिल, पुराना भोजपुर	सोवा पैक्स	डुमरॉव	

साथ ही सभी संबद्ध पैक्सों/व्यापार मंडलों को राइस मिलों से अविलंब एकरारनामा करने का भी निदेश दिया गया **(अनुपालन :–जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।**

10. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा व्यापार मण्डल, राजपुर का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त है। तथापि अधिप्राप्ति अवधि का अन्तिम माह होने के कारण राजपुर व्यापार मण्डल का चयन अधिप्राप्ति टास्क फोर्स द्वारा नहीं किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

14/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-278 /आ0, दिनांक 15/3/2019

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा / सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर / डुमरॉव / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव / जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, धान अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।